भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 126

उत्तर देने की तारीख : 29.11.2021

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) की योजनाएं

126. श्रीमती फूलो देवी नेतम :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) : वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित किए गए और प्राप्त किए गए लक्ष्य क्या है;

(ख) : देश में एमएसएमई की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) : देश में एमएसएमई द्वारा राज्य-वार और क्षेत्र-वार कुल कितने लोग नियोजित किये गये हैं;

(घ) : कोविड-19 का एमएसएमई क्षेत्र पर विशेष रूप से बेरोजगार हुए लोगों की संख्या के संबंध में क्या प्रभाव पड़ा है;

(ङ) : विगत दो वर्षों के दौरान कुल कितने एमएसएमई बंद हो गये हैं; और

(च) : सरकार द्वारा इस मामले का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नारायण राणे)

(क) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्त वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक निर्धारित तथा प्राप्त किए गए लक्ष्य अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित अनिगमित गैर-कृषि उद्यमों पर एनएसएस रिपोर्ट के 73वें दौर (जुलाई, 2015- जून, 2016) के अनुसार एमएसएमई की अनुमानित संख्या 6.34 करोड़ थी तथा एमएसएमई क्षेत्र में संलग्न कार्मिकों की अनुमानित संख्या 11.10 करोड़ थी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुबंध-II के रूप में संलग्न है।

(घ) : चूंकि एमएसएमई औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में मौजूद हैं इसलिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार द्वारा रोजगार से वंचित होने वाले लोगों के संबंध में आंकड़ों का रख-रखाव नहीं किया जाता है।

(ङ) और (च) : कोविड-19 महामारी ने देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित विभिन्न क्षेत्रों को अस्थायी रूप से प्रभावित किया है। सरकार द्वारा लगाए गए कड़े लॉकडाउन संबंधी उपायों के कारण आर्थिक गतिविधियों में कमी आयी थी। इस कमी का एमएसएमई क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ा था।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय देश में एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन करता है। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधिगत स्कीम (स्फूर्ति), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) तथा नवोन्मेष, ग्रामोद्योग और उद्यमशीलता संबंधी स्कीम (एस्पायर) शामिल हैं।

सरकार ने देश में विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान एमएसएमई क्षेत्र को सहयोग प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कई पहलें की हैं। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

i) एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रु. का अधीनस्थ ऋण।
ii) एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रु. का कोलेट्रल मुक्त ऑटोमैटिक ऋण।
iii) एमएसएमई निधियों की निधि के माध्यम से 50,000 करोड़ रु. का इक्विटी समावेशन।
iv) एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।
v) व्यवसाय करने की सुगमता के लिए 'उद्यम पंजीकरण' के माध्यम से एमएसएमई का नये रूप में पंजीकरण।
vi) 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए वैश्विक निविदा की आवश्यकता नहीं होगी, इससे एमएसएमई को सहायता मिलेगी।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट द्वारा दिनांक 16.11.2021 को दी गई सूचना के अनुसार अधीनस्थ ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएसडी) के अंतर्गत 81.47 करोड़ रुपए की 754 गारंटियों को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के अंतर्गत दिनांक 12.11.2021 तक 2.82 लाख करोड़ रुपए की राशि की संस्वीकृति प्रदान की गई है।

माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 01.06.2020 को ''चैंपियंस'' नामक ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इसमें शिकायत निवारण तथा एमएसएमई की हैंडहोल्डिंग सहित ई-शासन के कई पहलुओं को शामिल किया गया है। इस पोर्टल के जरिए दिनांक 21.11.2021 तक कुल 40,201 शिकायतों का समाधान किया गया है।

*****

अनुबंध-I

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 126, जिसका उत्तर 29.11.2021 को दिया जाना है, के भाग 'क' में संदर्भित अनुबंध

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के संबंध में योजनावार बजट अनुमान, व्यय और उपलब्धि का प्रतिशत नीचे दिया गया है:

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	योजना / उप-शीर्ष (छाता योजनाएं के लिए)	उप योजना / विस्तृत शीर्ष	2014-15			2015-16			2016-17			2017-18		
			ब.अ.	वास्तविक	उपलब्धि का प्रतिशत	ब.अ.	वास्तविक	उपलब्धि का प्रतिशत	ब.अ.	वास्तविक	उपलब्धि का प्रतिशत	ब.अ.	वास्तविक	उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	सचिवालय	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	10.14	10.79	106.41	11.50	11.74	102.09	14.11	14.80	104.89	17.22	15.87	92.17
2	खादी, ग्राम एवं कॅयर उद्योग का विकास	खादी अनुदान	286.91	399.18	139.13	355.73	380.45	106.95	315.35	315.34	100.00	315.00	263.89	83.77
		ग्रामोद्योग (वीआई) अनुदान	63.12	58.86	93.25	67.52	48.26	71.48	34.37	33.67	97.96	34.00	83.10	244.41
		खादी, वीआई और कॅयर (एस एंड टी)	1.24		0.00	3.00	3.00	100.00	9.00	8.93	99.22	5.00	1.89	37.80
		खादी उद्योग	21.35		0.00									
		अन्य ग्रामोद्योग	5.46		0.00									
		खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना	18.00	14.99	83.28									
		खादी की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए योजना	0.46		0.00									
		मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों को मजबूत करना और विपणन बुनियादी ढांचे के लिए सहायता	7.42	4.33	58.36									
		खादी सुधार विकास पैकेज (एडीबी सहायता)	45.00	28.00	62.22	59.85	14.85	24.81	5.00	5.00	100.00	101.39	339.53	334.88
		बाजार संवर्धन और विकास सहायता (एमपीडीए)							341.63	331.53	97.04	340.00	328.31	96.56

		पारंपरिक उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति)	54.03		0.00	53.64	30.29	56.47	75.00	66.80	89.07	75.00	9.76	13.01
		कॅयर विकास योजना				50.23	45.32	90.22	45.45	50.55	111.22	50.00	50.00	100.00
		कॅयर उद्यमी योजना				22.89	6.88	30.06	20.00	13.11	65.55	10.00	7.00	69.98
		कॅयर उद्योग	88.45	65.17	73.68									
		सौर चरखा मिशन												
		खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को ऋण	0.50		0.00	0.50	0.33	66.00	0.55	0.15	27.27	0.60	0.10	16.67
		खादी और ग्रामोद्योग	33.72		0.00									
		खादी विकास योजना												
		ग्रामोद्योग विकास योजना												
		कुल	**635.80**	**581.32**	**91.43**	**624.86**	**541.12**	**86.60**	**846.35**	**825.08**	**97.49**	**930.99**	**1083.57**	**116.39**
3	**प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन**	**नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना (एस्पायर)**					69.59		100.00	14.83	14.83	50.00	47.63	95.25
		राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) सीएलसीएस-टीयूएस	487.75	432.45	88.66	299.98	298.45	99.49	385.00	318.94	82.84	506.00	294.53	58.21
		कुल	**487.75**	**432.45**	**88.66**	**299.98**	**368.04**	**122.69**	**485.00**	**333.77**	**68.82**	**556.00**	**342.16**	**61.54**
4	**प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य ऋण सहायता योजनाएं**	**प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)**	1418.28	1063.04	74.95	1050.00	1280.80	121.98	1139.00	1112.65	97.69	1024.49	1072.90	104.73
		ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र	36.57	38.32	104.79	40.07	40.07	100.00	49.50	48.94	98.87	50.00	37.78	75.56
		क्रेडिट सहायता कार्यक्रम	28.50	74.99	263.12	20.25	70.99	350.57	50.00	715.68	1431.36	3002.00	3002.00	100.00
		भारतीय समावेशी नवाचार कोष	45.00	0.00	0.00	20.00		0.00	1.00		0.00			
		भारतीय इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एग्रो-इंडस्ट्री फंड	200.00	5.00	2.50	200.00		0.00						
		एमएसएमई को वृद्धिपरक ऋण के लिए ब्याज छूट योजना												

		निष्पादन क्रेडिट रेटिंग योजना	65.00	88.00	135.38	26.00	37.00	142.31	200.00	57.93	28.97	10.00	0.00	0.00
		दबावग्रस्त परिसंपत्ति कोष-दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए अधीनस्थ ऋण												
		गारंटीकृत इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (जीईसीएल)												
		कुल	**1793.35**	**1269.35**	**70.78**	**1356.32**	**1428.86**	**105.35**	**1439.50**	**1935.20**	**134.44**	**4086.49**	**4112.68**	**100.64**
5	विपणन संवर्धन योजना	विपणन विकास सहायता (एमडीए) पीएमएस	18.25	11.10	60.82	17.91	13.01	72.64	15.50	8.25	53.23	15.00	11.03	73.54
		विपणन सहायता योजना (एमएएस)	11.80	11.68	98.98	19.00	16.52	86.95	20.00	14.80	74.00	15.00	10.16	67.76
		अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना	4.60	3.94	85.65	3.80	3.60	94.74	8.00	4.98	62.25	5.00	4.08	81.67
		कुल	**34.65**	**26.72**	**77.11**	**40.71**	**33.13**	**81.38**	**43.50**	**28.03**	**64.44**	**35.00**	**25.28**	**72.22**
6	उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम	एमगिरि	11.50	7.23	62.87	6.87	6.02	87.63	10.15	9.41	92.71	10.00	7.80	77.96
		प्रचार सेवा संस्थान और कार्यक्रम	142.92	129.51	90.62	134.07	119.66	89.25	138.20	132.72	96.03	160.00	139.64	87.27
		प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता	116.99	86.25	73.72	77.20	72.87	94.39	79.99	38.24	47.81	30.00	4.53	15.10
		सूचना, शिक्षा और संचार												
		एमएसएमई फंड							0.01		0.00	0.01	0.00	0.00
		राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना	3.00	2.00	66.67	1.00	0.99	99.00	1.00	0.54	54.00	0.00	0.00	
		निधियों की निधि												
		कुल	**274.41**	**224.99**	**81.99**	**219.14**	**199.54**	**91.06**	**229.35**	**180.91**	**78.88**	**200.01**	**151.96**	**75.98**
7	अवसंरचना विकास कार्यक्रम	अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण (टूल रूम + क्लस्टर + पूर्वोत्तर और सिक्किम + टीसी / टीएस)	252.00	187.63	74.46	275.77	190.05	68.92	266.00	225.31	84.70	300.00	246.46	82.15
		अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण - ईएपी	150.00	5.03	3.35	97.00	31.71	32.69	75.00	59.37	79.16	250.00	146.22	58.49
		नए प्रौद्योगिकी केंद्रों/विस्तार केंद्रों की स्थापना हब एंड स्पोक										0.00	0.00	
		लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8.00	6.68	83.50	9.50	2.62	27.58	10.00	8.27	82.70	10.00	5.72	57.24
		निधियों की निधि												
		कुल	**410.00**	**199.34**	**48.62**	**382.27**	**224.38**	**58.70**	**351.00**	**292.95**	**83.46**	**560.00**	**398.40**	**71.14**

8	**अनुसंधान, अध्ययन और विकास**	**डाटा बेस का उन्नयन**	19.50	13.16	67.49	60.00	18.57	30.95	28.50	9.38	32.91	9.00	7.86	87.33
		सर्वेक्षण, अध्ययन और नीति अनुसंधान	3.00	0.54	18.00	2.28	0.13	5.70	2.00	0.49	24.50	1.00	0.86	86.26
		एसएमई डिवीजन (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	22.61		0.00									
		राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र								4.54		60.00	59.18	98.63
		कुल	**45.11**	**13.70**	**30.37**	**62.28**	**18.70**	**30.03**	**30.50**	**14.41**	**47.25**	**70.00**	**67.90**	**97.00**
9	**विकास आयुक्त (एमएसएमई)**	**विकास आयुक्त (एमएसएमई)**	21.21	19.95	94.06	21.86	20.63	94.37	25.46	24.92	97.88	26.26	24.36	92.76
		वसूलियां		-1.22										
	कुल योग		**3702.28**	**2766.60**	**74.73**	**3007.42**	**2834.40**	**94.25**	**3464.77**	**3650.07**	**105.35**	**6481.96**	**6222.18**	**95.99**

क्र.सं.	योजना / उप-शीर्ष (छाता योजनाएं के लिए)	उप योजना / विस्तृत शीर्ष	2018-19			2019-20			2020-21			2021-22		
			ब.अ.	वास्तविक	उपलब्धि का प्रतिशत	ब.अ.	वास्तविक	उपलब्धि का प्रतिशत	ब.अ.	वास्तविक	उपलब्धि का प्रतिशत	ब.अ.	31.10.2021 तक व्यय	उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	सचिवालय	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	20.33	19.13	94.10	20.66	19.87	96.18	22.42	23.50	104.82	24.10	13.10	54.36
2	खादी, ग्राम एवं कॅयर उद्योग का विकास	खादी अनुदान	415.00	660.52	159.16	308.51	370.51	120.10	383.60	222.17	57.92	350.00	165.14	47.18
		ग्रामोद्योग (वीआई) अनुदान	110.00	56.81	51.65	0.00	0.00							
		खादी, वीआई और कॅयर (एस एंड टी)	5.00	1.68	33.60	0.00								
		खादी उद्योग												
		अन्य ग्रामोद्योग												
		खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना												
		खादी की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए योजना												
		मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों को मजबूत करना और विपणन बुनियादी ढांचे के लिए सहायता												
		खादी सुधार विकास पैकेज (एडीबी सहायता)	80.03	146.03	182.47	0.01	0.00	0.00	0.00					
		बाजार संवर्धन और विकास सहायता (एमपीडीए)	340.00	164.00	48.24	103.33	103.34	100.01	0.00					
		पारंपरिक उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति)	125.00	86.03	68.82	125.00	181.81	145.45	464.85	349.12	75.10	170.00	151.83	89.31
		कॅयर विकास योजना	80.00	75.93	94.91	70.50	70.89	100.55	103.87	80.44	77.44	80.00	46.02	57.53
		कॅयर उद्यमी योजना	10.00	6.00	60.00	2.00	1.96	98.00						
		कॅयर उद्योग												

		सौर चरखा मिशन	50.00	2.50	5.00	143.50	46.05	32.09	100.00	0.00	0.00	5.04	0.00	0.00
		खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को ऋण	0.57	0.57	100.00	0.42	0.15	35.71	0.70	0.00	0.00			
		खादी और ग्रामोद्योग												
		खादी विकास योजना				396.46	361.04	91.07	370.00	258.44	69.85	250.00	80.00	32.00
		ग्रामोद्योग विकास योजना				102.92	80.65	78.36	102.92	37.35	36.29	50.00	13.28	26.56
		कुल	**1215.60**	**1200.07**	**98.72**	**1252.65**	**1216.40**	**97.11**	**1525.94**	**947.52**	**62.09**	**905.04**	**456.27**	**50.41**
3	**प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन**	नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता (एस्पायर) को बढ़ावा देने के लिए एक योजना	232.00	219.34	94.54	50.00	1.38	2.76	30.00	13.26	44.20	15.00	3.22	21.47
		राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) सीएलएसीएस-टीयूएस	1006.00	1007.09	100.11	705.78	758.41	107.46	805.35	1120.20	139.09	315.31	111.70	35.43
		कुल	**1238.00**	**1226.43**	**99.07**	**755.78**	**759.79**	**100.53**	**835.35**	**1133.46**	**135.69**	**330.31**	**114.92**	**34.79**
4	**प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य ऋण सहायता योजनाएं**	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	1800.64	2118.80	117.67	2327.10	2464.45	105.90	2500.00	1905.80	76.23	2000.00	1335.00	66.75
		ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र	50.00	30.89	61.78	0.00								
		क्रेडिट सहायता कार्यक्रम	700.00	744.95	106.42	597.00	555.15	92.99	100.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
		भारत समावेशी नवाचार कोष												
		भारतीय इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एग्रो-इंडस्ट्री फंड												
		एमएसएमई को वृद्धिपरक ऋण के लिए ब्याज छूट योजना		275.00		350.00	350.00	100.00	200.00	350.00	175.00	199.66	0.00	0.00
		निष्पादन क्रेडिट रेटिंग योजना	5.00	8.07	161.32	0.04	0.00	0.00						
		दबावग्रस्त परिसंपत्ति कोष-दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए अधीनस्थ ऋण								157.41		300.00	0.00	0.00
		गारंटीड आकस्मिक क्रेडिट लाइन (जीईसीएल)										10000.00	6250.00	62.50
		कुल	**2555.64**	**3177.70**	**124.34**	**3274.14**	**3369.60**	**102.92**	**2800.00**	**2413.21**	**86.19**	**12499.70**	**7585.00**	**60.68**

5	विपणन प्रोत्साहन योजना	विपणन विकास सहायता (एमडीए) पीएमएस	65.00	8.56	13.17	87.60	79.88	91.19	83.59	12.69	15.18	25.00	1.73	6.92
		विपणन सहायता योजना (एमएएस)	15.00	3.31	22.05	10.03	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00			
		अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना	5.00	4.80	95.99	30.00	6.90	23.00	20.00	1.80	9.00	15.00	0.28	1.87
		कुल	**85.00**	**16.67**	**19.61**	**127.63**	**86.78**	**67.99**	**103.63**	**14.49**	**13.98**	**40.00**	**2.01**	**5.03**
6	उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम	एमजीआईआरआई	10.00	8.88	88.82	12.00	10.00	83.33	11.00	6.19	56.27	7.50	2.01	26.80
		प्रचार सेवा संस्थान और कार्यक्रम	200.00	156.07	78.04	337.91	259.35	76.75	320.92	130.40	40.63	183.42	79.80	43.51
		प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता	30.00	22.27	74.23	30.00	29.66	98.87	30.00	24.00	80.00	30.00	16.28	54.27
		सूचना, शिक्षा और संचार							6.55	3.79	57.86		0.07	
		एमएसएमई फंड	100.01	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.01		0.00
		राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना	0.00	0.19		0.00	0.00							
		निधियों की निधि							200.00	0.00	0.00			
		कुल	**340.01**	**187.41**	**55.12**	**479.91**	**299.01**	**62.31**	**611.92**	**164.38**	**26.86**	**220.93**	**98.16**	**44.43**
7	अवसंरचना विकास कार्यक्रम	अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण (टूल रूम + क्लस्टर + पूर्वोत्तर और सिक्किम + टीसी / टीएस)	400.00	308.62	77.16	419.57	435.91	103.89	801.70	395.77	49.37	507.53	87.00	17.14
		अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण - ईएपी	550.00	257.43	46.81	350.00	266.22	76.06	400.00	327.10	81.78	280.10	62.58	22.34
		नए प्रौद्योगिकी केंद्रों/विस्तार केंद्रों की स्थापना हब एंड स्पोक	0.00	0.00		125.12	128.00	102.30	200.00	48.58	24.29	300.00	3.99	1.33
		लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	12.00	6.66	55.50	26.60	14.98	56.32	58.30	23.63	40.53	20.00	0.07	0.35
		निधियों की निधि								0.00		350.00	0.00	0.00
		कुल	**962.00**	**572.71**	**59.53**	**921.29**	**845.11**	**91.73**	**1460.00**	**795.08**	**54.46**	**1457.63**	**153.64**	**10.54**
8	अनुसंधान, अध्ययन और विकास	डाटा बेस का उन्नयन	15.03	3.96	26.35	23.10	7.93	34.33	27.25	1.21	4.44	23.64	0.01	0.04
		सर्वेक्षण, अध्ययन और नीति अनुसंधान	1.00	0.28	28.45	1.57	0.00	0.00	1.26	0.37	29.37	2.00	0.49	24.50

		एसएमई डिवीजन (पूर्वोत्तर क्षेत्र)												
		राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र	93.96	77.57	82.56	121.69	79.64	65.44	150.00	120.00	80.00	150.00	66.87	44.58
		कुल	**109.99**	**81.82**	**74.39**	**146.36**	**87.57**	**59.83**	**178.51**	**121.58**	**68.11**	**175.64**	**67.37**	**38.36**
9	**विकास आयुक्त (एमएसएमई)**	**विकास आयुक्त (एमएसएमई)**	26.04	31.18	119.74	32.87	33.40	101.61	34.43	34.28	99.56	46.30	20.00	43.20
		वसूलियां												
	कुल योग		**6552.61**	**6513.12**	**99.40**	**7011.29**	**6717.53**	**95.81**	**7572.20**	**5647.50**	**74.58**	**15699.65**	**8510.47**	**54.21**

अनुबंध-II

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 126, जिसका उत्तर 29.11.2021 को दिया जाना है, के भाग (ख) और (ग) में संदर्भित अनुबंध

एनएसएस रिपोर्ट के 73वें दौर के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार उद्यमों और रोजगार की अनुमानित संख्या			
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**उद्यमों की अनुमानित संख्या**	**श्रमिकों की अनुमानित संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	3386983	5598878
2	अरुणाचल प्रदेश	22733	40844
3	असम	1214042	1814541
4	बिहार	3445562	5305034
5	छत्तीसगढ़	848128	1685507
6	दिल्ली	936186	2300267
7	गोवा	70261	160351
8	गुजरात	3316401	6115595
9	हरियाणा	969697	1905369
10	हिमाचल प्रदेश	392078	642748
11	जम्मू और कश्मीर	708880	1087551
12	झारखंड	1587870	2490794
13	कर्नाटक	3834000	7083735
14	केरल	2379392	4463350
15	मध्य प्रदेश	2673933	4874459
16	महाराष्ट्र	4777571	9074600
17	मणिपुर	180131	292215
18	मेघालय	112281	190549
19	मिजोरम	34933	62359
20	नागालैंड	91163	176610
21	ओडिशा	1984427	3325621
22	पंजाब	1465013	2478902
23	राजस्थान	2686664	4632279
24	सिक्किम	26099	44696
25	तमिलनाडु	4947620	9671945
26	तेलंगाना	2604569	4015787
27	त्रिपुरा	210831	294983
28	उत्तर प्रदेश	8999485	16519294
29	उत्तराखंड	416629	659880
30	पश्चिम बंगाल	8867437	13545924
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	19206	38890
32	चंडीगढ़	56447	128910
33	दादर और नगर हवेली	15586	36329
34	दमन और दीव	7714	14438
35	लक्षद्वीप	1875	2765
36	पुदुचेरी	95843	183882
	कुल	**63387670**	**110959881**